उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-06/2019-20

जगदीश पासवान वगैरह

बनाम्

झारखण्ड राज्य वगैरह

—: आदेश :—

दिनांक। 8/22

उत्तरवादी के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता जगदीश पासवान, पे0—स्व0 रायफल पासवान वो सोनू उर्फ दीपक पासवान, पे0—जगदीश पासवान, सा0—मानगढ़, थाना—मेहरमा, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0—178/16—17 आदेश दिनांक—29.01.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0—178/16—17 के आदेश दिनांक—29.01.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा—मानगढ़ जमाबंदी सं0—17 दाग नं0—31 रकवा 00—05—00 धुर जमीन से उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा मानगढ़ नं0—64, 66 जमाबंदी सं0—17 के दाग नं0—31 के अंदर रकवा—00—05—00 धुर जमीन पर अपीलकर्त्ता का मकान निर्मित है एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का मकान अवस्थित है। चूँकि उक्त जमीन का स्वरूप बदल गया है। इसलिए उक्त जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम—1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत्त उक्त जमीन से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची का भी अनेक निर्णय है कि मकान की जमीन से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त

करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी सं0–02–के दाखिल लिखित बहस में उल्लेख है कि मौजा–मानगढ़, थाना नं0–64, 66 जमाबंदी सं0–17 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चन्दरनाथ बागची वल्द विश्वनाथ बागची के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी दाग नं0–31 कुल रकवा 02–01–02 धुर जमीन उत्तरवादी सं0–02 को आपसी हिस्सा के तहत प्राप्त हुआ है। उक्त दाग नं0–31 की रकवा 00–05–00 धुर जमीन अपीलकर्त्ता ने अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है। इसलिए उत्तरवादी सं0–02 ने निम्न न्यायालय में उक्त जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए आवेदन दाखिल किया था। निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर अवैध दखल होने के कारण उच्छेद किया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–1074/रा0 दिनांक–18.11.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मानगढ़, थाना नं0–64, 66 जमाबंदी नं0–17 खतियानी रैयत चन्दरनाथ बागची वल्द वीश्वनाथ बागची कौम ब्राहम्ण शा0 देह के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–31 रकवा 02–01–02 धुर किस्म बाड़ी औवल कहकर दर्ज है। उक्त दाग नं0–31 के अन्तर्गत 00–05–00 धुर भूमि किरण कुमार बागची के भाई तुलसी बागची द्वारा शपथ पत्र सं0–2453 दिनांक–07.08.2013 के माध्यम से राधे पासवान पिता–भिखारी पासवान, ग्राम–मानगढ़ को दिया गया है जो अवैध है। उक्त भूमि के 00–00–15 धुर पर राधे पासवान के दामाद जगदीश पासवान का मकान बना हुआ है तथा शेष भूमि खाली है। इस खाली भूमि के अंश भाग पर मना करने के बावजूद जगदीश पासवान द्वारा शौचालय का निर्माण किया गया है। जगदीश पासवान ग्राम–रामपुर हाट जिला–वीरभूम राज्य पश्चिम बंगाल के निवासी है। आगे प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मानगढ़, जमाबंदी नं0–17 जमाबंदी रैयत चन्दरनाथ बागची वल्द विश्वनाथ बागची के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अपीलकर्त्ता द्वारा इस जमाबंदी के दाग

नं0–31 रकवा 00–05–00 धुर पर मकानमय सहन के रूप में दखल अवैध माना जा सकता है। जमाबंदी भूमि होने के कारण अहस्तांतरणीय है। यह भूमि द्वितीय पक्ष किरण कुमार बागची के पूर्वज का है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपील वादगत जमीन मौजा–मानगढ़ थाना नं0–64, 66 जमाबंदी सं0–17 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चन्दरनाथ बागची वल्द विश्वनाथ बागची के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–31 रकवा 00–05–00 धुर जमीन अपीलकर्त्ता ने 1937 ई0 में कुर्फा के आधार पर प्राप्त करने का दावा निम्न न्यायालय में किया था। लेकिन रैयती किस्म की जमीन होने के कारण निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता को अपील वादगत जमीन से उच्छेद किया है। अंचल अधिकारी, मेहरमा के जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि अपील वादगत जमीन जमाबंदी जमीन होने के कारण अहस्तान्तरणीय है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–178/16–17 के आदेश दिनांक–29.01.19 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 12:56:36 +05:30
Location: 192.168.1.38